

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष - जोर्ज मारकुस लकड़ा बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 72/2022

द्वितीय पक्ष - एमानुएल लकड़ा बगैरह।

आदेश की क0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
30/1/27	<p>उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं0 29/2022 दिनांक 28/06/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) जोर्ज मारकुस लकड़ा उम्र 60 वर्ष पिता स्व0 चार्ल्स लकड़ा (2) अमरदीप लकड़ा उम्र 37 वर्ष (3) जेवियर लकड़ा उम्र 35 वर्ष दोनो के पिता स्व0 मतियस लकड़ा (4) रोशन लकड़ा उम्र 39 वर्ष पिता स्व0 जोवियर लकड़ा चारो ग्राम लोंगा थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) एमानुएल लकड़ा उम्र 68 वर्ष पिता फिलीप धोधे लकड़ा (2) स्तानिसलास लकड़ा उम्र 55 वर्ष पिता एमानुएल लका (3) मेरी कुरुस्तुला लकड़ा उम्र 47 वर्ष पिता स्तानिसलास लकड़ा (4) अनामिका लकड़ा उम्र 24 वर्ष (5) आकंक्षा लकड़ा उम्र 23 वर्ष (6) आलोविस लकड़ा उम्र 20 वर्ष तीनों पिता स्तानिसलास लकड़ा ग्राम लोंगा थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया ।</p> <p>उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :-</p> <p>उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं।</p> <p>अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है।</p>	

लेखापित ।



[Handwritten Signature]
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।